

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-97/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० विवेकानंद, सामान्य चिकित्सा पदधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर के दिनांक-05.11.2022 से 28.12.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-05.11.2022 से 10.11.2025 तक (कुल-1102 दिन)	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक-11.11.2025 से 26.11.2025 तक (कुल-16 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।
(iii)	दिनांक-27.11.2025 से 02.12.2025 तक (कुल-06 दिन)	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
(iv)	दिनांक-03.12.2025 से 26.12.2025 तक (कुल-24 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।
(v)	दिनांक-27.12.2025 से 28.12.2025 तक (कुल-02 दिन)	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-97/2026-

187012)

स्वा०, पटना, दिनांक 31/8/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/डा० विवेकानंद, सामान्य चिकित्सा पदधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।